:: **<u>न्यायालय, अपर सैशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)</u>** ::

पीठासीन न्यायाधीश : **मुकेश कुमार सोनी**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 15/2019

CIS No. : 15/2019

राजस्थान राज्य

बनाम

01. **हेमु उर्फ हेमराज** पुत्र मोहनलाल,
02. **रामचरण** पुत्र लक्ष्मीनारायण,
03. **पवन कुमार** पुत्र मोहनलाल,
04. **ममता कुमारी** पुत्री मोहनलाल,

निवासीगण मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना,
जिला झालावाड़ (राज.)

..... अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 अथवा 323/34, 324 अथवा 324/34, 307 अथवा 307/34, 302 अथवा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम</u>

<u>उपस्थित:-</u>

01. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
02. श्री विनोद जैन विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक:-24.04.2026**

घटना की दिनांक	08.11.2018
प्रथम सूचना की दिनांक	09.11.2018
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	15.01.2019
कमिट होकर प्राप्त होने की दिनांक	16.02.2019
आरोप विरचन की दिनांक	13.01.2021
साक्ष्य आरम्भ होने की दिनांक	26.02.2021
निर्णय सुरक्षित करने की दिनांक	-
निर्णय की दिनांक	24.04.2026
दण्डादेश, यदि हो तो दिनांक	-

अभियुक्तगण का विवरण-

क्र. सं.	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर मुक्त होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषसिद्धि /दोषमुक्ति	अधिरोपित दण्ड	धारा 428 दप्रसं के अधीन समायोजन अवधि
1.	हेमु उर्फ हेमराज	12.11.18	07.01.22	341, 323/34, 324/34, 307/34, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम	दोषमुक्त	-	-
2	रामचरण	12.11.18	21.08.19	341, 323/34, 324/34, 307/34, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम	दोषमुक्त	-	-
3	पवन कुमार	19.12.18	21.08.19	341, 323/34, 324/34, 307/34, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम	दोषमुक्त	-	-
4	ममता कुमारी	20.12.18	30.01.19	341, 323/34, 324/34, 307/34, 302/34 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	-	-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>-

1. यह सैशन प्रकरण इस न्यायालय में उपार्पित होकर प्राप्त होने पर संस्थित हुआ है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार परिवादी राहुल मेवाड़ा द्वारा दिनांक 08.11.2018 को जैरईलाज सीएचसी मनोहरथाना में एक पर्चा बयान इस आशय का दिया गया कि नावघटा मोहल्ला में उसका शराब का ठेका है जिस पर वह स्वयं बैठकर शराब बेचता है। आज शाम को 8.30 बजे वह ठेके पर बैठा हुआ था। उसी समय उसका बड़ा भाई दीपक मेवाड़ा, जगदीश मेवाड़ा व धनराज मेवाड़ा तीनों आये और उसके ठेके के बाहर आकर बैठ गए। तीनों ने खाना खाया और दीपक को घर पर छोड़ने जा रहे थे। लक्ष्मीनारायण के मकान के सामने पहुंचे तो उसकी औरत ने दीपक को गालियां दी। फिर लक्ष्मीनारायण की औरत का छोटा लड़का त्रिलोक हेमु प्रजापत व पवन प्रजापत को बुलाकर लाया। हेमु के हाथ में चाकू व पवन के हाथ में तलवार थी। उसी समय रामचरण प्रजापत भी तलवार लेकर आया। आते ही हेमु ने दीपक को जान से मारने की नीयत से चाकू की

सिर में मारी, वह नीचे गिर गया। वह बचाने लगा तो पवन ने उसके तलवार की उसके बांयी तरफ बगल में मारी और हेमु ने चाकू की मारी जो उसके सीने पर लगी। धनराज बचाने लगा तो उसके भी पवन ने तलवार की सिर में मारी, उसके खून बहने लग गया। फिर राजू मेवाड़ा बचाने लगा तो उसके भी हेमु ने चाकू की दो-तीन जगह ललाट, सीने और पेट पर मारी जिससे उसके खून बहने लग गया। बचाते समय पवन के रामचरण ने तलवार की मारी जो उसके जांघ व अंगुली पर लगी। इनके परिवार की औरतें मिर्ची लेकर आ गई थी जिन्होंने उनकी आंखों पर मिर्ची फेंकी। उस समय सचिन मेवाड़ा, कन्हैया मेवाड़ा और मनीष मेवाड़ा हल्ला सुनकर आये जिन्होंने उनका बीच बचाव किया। इन सभी ने उन्हें जान से मारने की नीयत से चाकू व तलवार से मारपीट की है।

2. उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना मनोहरथाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 315/18, अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 307 भा.द.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज, पवन कुमार, रामचरण व ममता कुमारी के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 307, 302, 34 भा.द.सं. व 4/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को विचारणार्थ इस न्यायालय को उपार्पित किया गया।

3. प्रकरण में अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज, रामचरण, पवन कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323 अथवा 323/34, 324 अथवा 324/34, 307 अथवा 307/34, 302 अथवा 302/34 भा.द.सं. व धारा 4/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्ता ममता कुमारी के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323 अथवा 323/34, 324 अथवा 324/34, 307 अथवा 307/34, 302 अथवा 302/34 भा.द.सं. के आरोप विरचित किए गए, अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर मौखिक साक्ष्य में कुल 24 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया जिनका समुचित विवरण निर्णय के अंतिम भाग में **परिशिष्ट 'क'** में दर्शाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 57 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये हैं। जिनका समुचित विवरण निर्णय के अंतिम भाग में **परिशिष्ट 'ख'** में दर्शाया गया है।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

अभियोजन साक्ष्य के दौरान दस्तावेजात प्रदर्श डी1 लगायत डी3 को प्रदर्शित करवाया गया।

6. बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण का आरोपित अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है। मौके पर भीड़ में किसी ने आहतगण व मृतक के चोटें कारित की अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति की कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण के सभी चक्षुदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हैं और किसी ने भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण के कब्जे से चाकू व तलवारों की बरामदगी संदेहास्पद है। इस कार्यवाही का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। साक्ष्य में विरोधाभास है। न्यायालय में उक्त आर्टिकल फटे हुए पैकेट में पेश हुए हैं। तलवारों के पहचान का विशिष्ट चिन्ह नहीं होने से यह बताना सम्भव नहीं है कि किस अभियुक्त से किस तलवार को बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। उन्हें दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

8. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रकरण के विनिश्चय के लिए न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु है कि-

(1) ''क्या अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज, रामचरण, पवन कुमार व ममता कुमारी ने दिनांक 08.11.2018 को शाम करीब 8.30 बजे या उसके लगभग कस्बा मनोहरथाना में नावघटा मोहल्ला में फरियादी राहुल मेवाड़ा के शराब के ठेके से आगे लक्ष्मीनारायण के मकान के सामने आहतगण दीपक मेवाड़ा, जगदीश मेवाड़ा व धनराज मेवाड़ा को मारपीट करने के आशय से जाते हुए को रोककर सदोष अवरोध कारित किया, सामान्य आशय की पूर्ति में उनके साथ स्वेच्छा कुन्द आले से मारपीट कर साधारण चोटें पहुंचाई, फरियादी राहुल मेवाड़ा व मृतक राजू मेवाड़ा के साथ स्वेच्छा धारदार हथियार तलवार, चाकू आदि से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की, राहुल मेवाड़ा व धनराज मेवाड़ा के साथ इस ज्ञान व आशय से ऐसी परिस्थितियों में मारपीट कर सिर व शरीर के मर्म स्थल पर ऐसी चोटें पहुंचाई कि जिनसे यदि उनकी या उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती तब अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते, मृतक राजू मेवाड़ा की हत्या कारित करने के सामान्य आशय की पूर्ति में उसके साथ स्वेच्छा तलवार, चाकू

आदि से पेट, छाती व सिर में चोटें कारित की जिसके फलस्वरूप राजू मेवाड़ा की मृत्यु हो गई व दिनांक 13.11.2018 को अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज व रामचरण से घटना में प्रयुक्त क्रमशः एक चाकू व एक तलवार तथा दिनांक 20.12.2018 को अभियुक्त पवन कुमार से घटना में एक तलवार जिनके धारदार फल की लम्बाई राज्य सरकार की अधिसूचना में वर्णित 10.16 से.मी. से अधिक थी, बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद की गई?"

(2) ''यदि हां तो उसके लिये उचित दण्ड क्या होगा?"

<u>अभियोजन साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण</u>-

9. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 13 राहुल मेवाड़ा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा मौका प्रदर्श पी-9. फर्द जप्ती पजामा प्रदर्श पी-11 व पर्चा बयान प्रदर्श पी-17 पर अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पुलिस ने नक्शा मौका बनाया था और उसके हस्ताक्षर करवाए थे। राजू का खून आलूदा पजामा पुलिस ने जप्त किया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी 17 में उसने हेमराज द्वारा राजू को चाकू से मारने की बात बताई है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 18 का ए से बी भाग गलत लिखा होना बताया है और स्वीकार किया है कि उनके बीच राजीनामा हो गया और इस सुझाव को गलत बताया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह झूठे बयान दे रहा हो। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह तीन-चार दिन अस्पताल में भर्ती रहा था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 4, फर्द जप्ती पजामा प्रदर्श पी 11 व पंचायतनामा प्रदर्श पी 1 पर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हस्ताक्षर कराए थे। यह स्वीकार किया है कि उसने कोई घटना होते हुए नहीं देखा। साक्षी के अनुसार हो हल्ला होने पर वह दौड़कर गया इतने में लाईट चली गई। वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। पता नहीं कौन किसके साथ मारपीट कर रहा था। वह बीच बचाव में गया तो उसके भी चोटें लग गई थी। पुलिस ने पर्चा बयान प्रदर्श पी 17 उसे पढ़कर नहीं सुनाया। उसके केवल हस्ताक्षर कराए थे। पर्चा बयान प्रदर्श पी 17 का सी से डी हिस्सा उसने पुलिस को नहीं लिखाया। न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर साक्षी का कथन है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तब उसने अपना नाम पता बताया था। उसने यह नहीं बताया कि वह बेहोशी की हालत में है और पूछताछ को नहीं समझ रहा है। वह हल्ला सुनकर घटना स्थल पर अपनी दुकान का ताला लगाकर गया था तब लाईट चली गई थी। राजू मेवाड़ा उसका रिश्तेदार नहीं है।

10. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 15 जगदीश** मृतक का पुत्र है। जिसने साक्ष्य में कथन किया है कि वह राहुल मेवाड़ा को जानता है जो उनके मोहल्ले

का था। करीब 3-4 साल पहले की रात की 8-9 बजे करीब की बात है। उस समय वह अपने घर पर सो रहा था। उसे शोर शराबे की आवाज आयी जिस पर वह नाव कटा मोहल्ला में गया। वहां पर लाईट नहीं आ रही थी और अंधेरा हो रहा था। किसने किसको मारा उसे पता नहीं। अंधेरे में उसके पिता के चोट आई थी। उसके पिता के किसने मारी उसे पता नहीं। बाद में भी उसने नहीं सुना कि उसके पिता के साथ किसने मारपीट की। साक्षी ने अपने भी हाथ पर चोट आना बताया है। वह चोट किसने मारी उसे पता नहीं चला क्योंकि वहां अंधेरा था। साक्षी के अनुसार वह दीपक, धनराज, राहुल व लक्ष्मीनारायण को जानता है। वह उसके मोहल्ले में रहते हैं। उन लोगों को उसने घटना स्थल पर नहीं देखा था। हेमराज, गुड्डी व रामचरण को भी मौके पर नहीं देखा था। उसके सामने अभियुक्त हेमराज ने उसके पिता के साथ मारपीट नहीं की। पुलिस ने उसके पिता की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 1 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसे उसके पिता की लाश सुपुर्द की गई थी। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 2 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराए जाने के पश्चात साक्षी ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 27 का ए से बी भाग गलत लिखा होना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया हो और इसलिए झूठे बयान दिये हो। अभियुक्तगण की **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जब वह शोर सुनकर घर से निकला तो वहां पर 100-150 आदमियों की भीड़ थी। वह जैसे ही मौके पर पहुंचा तब लाईट चली गई थी। भीड़ में कौन-कौन थे उसने किसी को नहीं देखा। उसे बाद में किसी ने नहीं बताया कि उसके पिता के साथ घटना किसने कारित की थी। उसके किसने व किस हथियार से मारी, अंधेरे में पता नहीं चला।

11. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 4 दीपक** की साक्ष्य है कि राहुल उसका छोटा भाई है जो ढाबे पर काम करता है। लगभग 3 साल पहले रात 8.30 बजे की बात है। उस समय लाईट नहीं आ रही थी और अंधेरा हो रखा था। उस समय वह घर से खाना खाकर बाहर निकला था। वहां पर भीड़ हो रखी थी। भीड़ मे ज्यादा समझ में कुछ नहीं आया। लड़ाई हो रही थी बीच बचाव में वह गया था। लड़ाई किन-किन के बीच हो रही थी उसे पता नहीं। लोग अंधेरे में एक-दूसरे को पकड़ रहे थे। स्वयं के सिर में चोट आना बताया है और कथन किया है कि चोट किसने मारी उसे पता नहीं। घटना में और किस-किस के चोट आई उसे ध्यान नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराए जाने के पश्चात पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का ए से बी भा दिये जाने से इन्कार किया है। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह लोभ या लालच में आकर झूठे बयान दे रहा हो।

12. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 धनराज** के अनुसार दीपक व जगदीश उसके पड़ौसी हैं। वह मार्केट से गाड़ी खड़ी करके आ रहा था। रास्ते में भीड़ हो रखी थी और अंधेरा हो रहा था। उसके भी चोट आई थी। चोट किसने व किस हथियार से मारी उसे पता नहीं है। उसने केवल बीच बचाव किया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराए जाने के उपरांत साक्षी ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का ए से बल भाग लिखाए जाने से इन्कार किया है और इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अभियुक्त से मिलकर झूठे बयान दे रहा हो। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना स्थल पर करीब 70-80 आदमी इकट्ठा हो रहे थे और अंधेरा था इस कारण उसने यह नहीं देखा कि झगड़ा किन-किन के बीच हुआ और किसने किसके साथ मारपीट की।

13. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 8 पवन** के अनुसार घटना दीपावली के समय रात्रि की है। वह दुकान से घर जा रहा था। हेमराज के घर के बाहर शोर शराबा हो रहा था तो वह भी वहां पर रूक गया था। वहां पर अंधेरा हो रहा था तो उसने कुछ भी नहीं देखा। वह वहां ज्यादा समय वहां पर नहीं रूका। लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा था पर किसके बीच में हो रहा था यह उसने नहीं देखा। नक्शा मौका प्रदर्श पी 9 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं और कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने कोई मौका मुआयना नहीं किया उससे केवल हस्ताक्षर करवाए थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाए जाने के पश्चात् उसका कथन है कि पुलिस ने उसे यह नहीं बताया कि नक्शा मौका राजू मेवाड़ा की हत्या के संबंध में बनवाया जा रहा है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का ए से बी व सी से डी भाग लिखाने से इन्कार किया है और कथन किया है कि लडाई झगड़े में राजू की हत्या हो गई थी। उसके मरने के बाद उसे यह पता चला था कि मेवाडा समाज व कुम्हार समाज के मध्य लडाई हुई थी। वह लड़ने वालों के नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसको किसी ने नाम नहीं बताये थे। घटना हेमराज के मकान के बाहर की है जो रात के आठ नो बजे की है। वहां पर रोड़ लाईट नहीं थी और अंधेरा हो रखा था। साक्षी के अनुसार वह अभियुक्तगण हेमराज, पवन व रामस्वरूप को शक्ल से जानता है, पर उनसे उसकी बातचीत नहीं है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह अभियुक्तगण को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

14. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 9 भगवतसिंह** ने कथन किया है कि वह दुकान से घर जा रहा था। रात्रि आठ बजे उसके घर के सामने की बात है। अंधेरा हो रहा था। भीड़-भाड़ थी और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसने किसी की शक्ल नहीं देखी, ना ही किसी के साथ मारपीट करते हुए देखा। उसने बीच बचाव भी नहीं किया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाए जाने के उपरांत पुलिस बयान प्रदर्श पी 13 का ए से बी भाग लिखाए जाने से इन्कार किया है

और इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अभियुक्तगण को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

15. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 10 पदम** ने कथन किया है कि ढ़ाई तीन साल पहले की बात है। वह घर पर था। अंधेरे में भीड़-भाड़ में चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसने किसी की शक्ल नहीं देखी, ना ही किसी के साथ मारपीट करते हुए देखा। उसने बीच बचाव भी नहीं किया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाए जाने के उपरांत पुलिस बयान प्रदर्श पी 14 का ए से बी भाग लिखाए जाने से इन्कार किया है और इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अभियुक्तगण को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

16. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 11 मनीष** ने कथन किया है कि वह हेमराज और राहुल मेवाड़ा को जानता है। उसने इन दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। करीब 7-8 माह पहले शाम को उसने शोर शराबा सुना था। वह घर से बाहर आया तो बाहर पुलिस नजर आई और काफी भीड़ थी। बाद में पता चला कि वहां पर लड़ाई हुई थी। किसने किसके साथ मारपीट की उसे पता नहीं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाए जाने के उपरांत पुलिस बयान प्रदर्श पी 15 का ए से बी भाग लिखाए जाने से इन्कार किया है और इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अभियुक्तगण को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

17. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 12 भवानीशंकर** के अनुसार उसके घर के पास लक्ष्मीनारायण, राहुल मेवाड़ा व हेमराज के मकान हैं। आज से कितने साल पहले की बात है उसे पता नहीं। उसने कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं देखी। ना ही मारपीट के बारे में सुना था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाए जाने के उपरांत पुलिस बयान प्रदर्श पी 16 का ए से बी भाग लिखाए जाने से इन्कार किया है और इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अभियुक्तगण को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

18. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 16 सचिन** का कथन कि कितने साल पहले की बात है उसे पता नहीं। उसने कुछ नहीं देखा। वह अपने घर पर था। उसे घटना के बारे में पता नहीं है। उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाए जाने के उपरांत पुलिस बयान प्रदर्श पी 29 का ए से बी भाग लिखाए जाने से इन्कार किया है। साक्षी के अनुसार लक्ष्मीनारायण प्रजापत उसके मकान से थोड़ा दूर रहता है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह करीब 6-7 साल पहले लक्ष्मीनारायण प्रजापत के मकान से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर वहां गया हो और उसने वहां पर पवन, हेमु, रामचरण, दीपक मेवाड़ा, राहुल मेवाड़ा, राजू व धनराज को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा हो।

19. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 17 कन्हैया** का कथन है कि कितने साल पहले की बात है उसे पता नहीं है। उसने कोई घटना नहीं देखी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाए जाने के उपरांत पुलिस बयान प्रदर्श पी 30 का ए से बी भाग लिखाए जाने से इन्कार किया है। साक्षी के अनुसार वह, पवन, लक्ष्मीनारायण, हेमु, रामचरण, दीपक, राहुल, राजू व धनराज आदि को जानता है। उसने उनके बीच लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अभियुक्तगण को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

20. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 01 पूनमचंद** ने कथन किया है कि वह राजू मेवाड़ा को जानता था। उसे कोटा अस्पताल मे दिनांक 11.11.2018 को मृत अवस्था में देखा था। उसके चोटे पेट पर, सीने पर, सिर पर, एक पीठ के पीछे और हाथ पर भी पट्टी बंध रखी थी। पुलिस ने उसका पंचनामा प्रदर्श पी 1 व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। **अभियोजन साक्षी क्रमांक 02 मुकेश** ने भी पूर्वोक्त साक्षी के समान कथन किया है और मृतक राजू मेवाड़ा के पंचायतनामा प्रदर्श पी 1 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं।

21. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 7 जितेन्द्र** का कथन है कि पुलिस ने उसके सामने पजामा जप्त किया था पर किससे जप्त किया था यह उसे याद नहीं है। पजामे पर कुछ लगा हुआ हो तो उसे नहीं पता। फर्द जप्ती पजामा प्रदर्श पी-11 पर उसके बताये हस्ताक्षर है। साक्षी ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाये जाने के पश्चात् इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके सामने पजामा राजू मेवाड़ा से जप्त किया हो और कथन किया है कि उस पर खून लगा हुआ हो तो उसने नहीं देख। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पजामे के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और पुलिस द्वारा बस स्टेण्ड पर रोक कर उसके हस्ताक्षर करवाए जाने का कथन किया है। न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने पजामा जप्त किया था, लेकिन वह पजामा कैसे रंग का था उसे पता नहीं क्योंकि बहुत समय पहले जप्त किया था।

22. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 14 डॉ. सत्यनारायण** ने दिनांक 08.11.18 को सीएचसी मनोहरथाना में आहतगण का परीक्षण कर उनके चोट प्रतिवेदनों को प्रदर्शित करवाया है। साक्षी के अनुसार आहत राहुल की चोट नं. 1 कटा हुआ घाव 3 X 0.5 सेमी गुना हड्डी की गहराई तक बांये कान पर। चोट नं. 2 कटा हुआ घाव 3 X 0.5 सेमी मांसपेशियों की गहराई तक पीठ में पीछे नीचे की ओर पर। चोट नं. 3 रगड़ 0.5 X 0.5 सेमी छाती में निप्पल से ऊपर। सभी चोटें साधारण प्रकृति की व धारदार हथियार से कारित थी।

आहत राजू मेवाड़ा की चोट नं. 1 स्टेब वूण्ड 3 X आधा सेमी X हड्डी की गहराई तक पेट में बांयी तरफ चार सेमी नीचे व साईड में टोंडी के।

चोट नं. 2 कटा हुआ घाव 3 X आधा सेमी हड्डी की गहराई तक बांये गाल पर। चोट नं. 3 कटा हुआ घाव 3 X आधा सेमी हड्डी की गहराई तक बांयी अग्रभुजा पर। उक्त सभी चोटें धारदार हथियार से कारित थी। चोट नं. 1 गम्भीर प्रकृति की व 2, 3 साधारण प्रकृति की थी।

आहत पवन की चोट नं. 1 कुचला हुआ घाव 2 X आधा सेमी गुना हड्डी की गहराई तक दाहिने पैर के पंजे पर। चोट नं. 2 नीलगू निशान 4 X 1.5 सेमी दाहिने जांघ पर। उक्त दोनों चोटें साधारण प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित थी।

आहत दीपक की चोट नं. 1 कुचला हुआ घाव 3 X 0.5 सेमी X हड्डी की गहराई तक बांये तरफ सिर में पीछे की ओर। चोट नं. 2 कुचला हुआ घाव 3 X आधा सेमी हड्डी की गहराई तक दाहिने तरफ सिर में। चोट नं. 3 कुचला हुआ घाव 1 X आधा सेमी गुना मांसपेशियों की गहराई तक बांये तरफ सिर में पीछे की ओर। चोट नं. 4 रगड़ 3 X 0.5 सेमी बांये तरफ पीठ में। उक्त सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोट नं. 1 गम्भीर प्रकृति की व 2, 3 साधारण प्रकृति की थी।

आहत धनराज की चोट नं. 1 कुचला हुआ घाव 4 X 0.5 सेमी गुना हड्डी की गहराई तक सिर में पीछे की ओर जिसके लिए एक्स-रे की सलाह दी थी व कुंद हथियार से कारित थी। सभी आहतगण की चोटों की अवधि 24 घण्टों के अन्दर बताई है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 20 की चोट नं. 1 काफी बड़े नुकीले पत्थर पर बलपूर्वक यदि कोई व्यक्ति गिर जाए तो इस तरह की चोट आना समभव है।

23. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 20 डॉ. सचिन मीणा** का कथन है कि वह दिनांक 11.11.2018 को एमबीएस अस्पताल कोटा में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना मनोहरथाना की तहरीर पर मृतक राजू मेवाड़ा पुत्र कंवरलाल शव का पोस्टमार्टम किया था। मृतक के शरीर पर निम्न चोटें थी।

1. फटी हुयी चोट 2x0.5 सेमी सिर की चमड़ी जितनी गहरी सिर के मध्य फ न्टल भाग में। यह चोट खड़ी थी।

2. कटी हुयी चोट 6x0.5 सेमी मसल की गहरायी तक बायीं भुजा पर पीछे की ओर। यह चोट खड़ी थी। जिसके दोनों एन्गल एक्यूट थे।

3. तीन रेखांकित निलगू की चोट जिनकी लम्बाई 10 सेमी बायें स्केपुलर भाग पर 8 सेमी कमर के मध्य लम्बर भाग पर, 4 सेमी पीठ पर मध्य स्केपुलर भाग पर थी। सभी चोटें तिरछी थी।

4. रेखांकित निलगू चोट जिसकी लम्बाई 3 सेमी जिस पर पूंछ थी छाती पर दायीं ओर थी।

5. घोपी हुयी चोट 2x0.5x0.5 सेमी छाती पर बायीं ओर छटी व सातवीं पसलियों के बीच में, इस पर 1.5 सेमी लम्बी पूंछ थी।

6. दो रेखांकित निलगू चोटें जिसकी लम्बाई 3 सेमी एवं 2 सेमी दायीं कोहनी व दायी अग्र मुजा पर थी।

7. टांका लगी चोट जिसकी लम्बाई 26 सेमी थी इस पर 17 टांके लगे हुए थे। यह चोट खड़ी थी जो कि पेट की इपीगेस्टिक व अम्बलिकल भाग पर थी।

8. खुली हुयी चोट 4x4 सेमी पेट की गहरायी तक दायें हाईकोगेस्ट्रिक भाग पर, जिसके चारों ओर टांके लगे हुए थे। इसमें से आंत का कुछ भाग बाहर निकला हुआ था जिस पर प्लास्टिक की ट्यूब लगी थी।

9. रेखांकित निलगू चोट जिसकी लम्बाई 10 सेमी पेट के बायें लम्बर भाग पर थी। सिर के आन्तरिक परीक्षण पर वह सामान्य था। छाती में 300 एमएल सेप्टिसेमिक द्रव्य भरा हुआ था जिसमें से गंध आ रही थी। फेफड़ों की झिल्ली कन्जेस्टेड थी। श्वास नलिका में बदबूदार द्रव्य था। दोनों फैफड़ों में सेप्टिसेमिक बदलाव आये हुए थे।

साक्षी के अनुसार चोट संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 व 9 मृत्युपूर्व की थी और 2 से 3 दिवस के भीतर की थी। चोट संख्या 7 व 8 ईलाज के लिए बनायी गयी चोटें थी। इसलिए इन चोटों के नीचे और कोई चोटों की उपस्थिति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अनुसंधान अधिकारी को यह सलाह दी गयी थी कि प्राथमिक उपचार करने वाले डॉक्टर एवं राधाकृष्ण अस्पताल कोटा के डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ले। मृत्यु का प्राथमिक कारण आन्त्र में आयी चोटो व उसके अनुक्रम की वजह से सेप्टिसेमिक शॉक था फिर भी ईलाज के कागज एवं डॉक्टर की सलाह मांगी गयी थी। मृत्यु का समय दिनांक 10.11.2018 को दोपहर बाद 3 पीएम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 35 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर व सी से डी भाग में मृत्यु के कारण बाबत राय अंकित होना बताया है। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि यदि 50-60 आदमी हथियार चला रहे हो और उनके बीच कोई व्यक्ति फंस जाए तो ऐसी चोटें आना सम्भव है।

24. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 23 डॉ. अनुराग चितौड़ा** के अनुसार दिनांक 09.11.2018 को राधाकृष्ण हॉस्पिटल तलवण्डी कोटा से उसके पास एक मरीज को देखने के लिए कॉल आई थी। उसने दिनांक 09.11.2018 को सुबह साढे नो बजे मरीज को देखा। उसके परिजनों ने दिनाक 08.11.2018 को मरीज के साथ शाम को 4 से 5 बजे के बीच मारपीट एवं चाकूबाजी किया जाना बताया था। उस समय मरीज के पेट में दर्द था व नाभि के दाहिने हिस्से में दांयी ओर

नीचे की तरफ चाकू का घाव था। जिससे मरीज की आंत एवं आंत को सप्लाई करने वाली आमेंटम पेट से बाहर निकली हुई थी। मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पेशाब भी काफी कम आ रहा था। सारी स्थिति को देखकर उसने पेशेंट की कुछ जांचे करवाने की सलाह दी, जिसमें मरीज का सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, छाती का एक्सरे एवं ईसीजी आदि शामिल थी। मरीज के परिजनों को उस समय उसकी गम्भीर स्थिति के बारे में पूर्णतया बता दिया था तथा जांचों के बाद उसे ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। मरीज का शाम को 4 बजे के आसपास मेरे द्वारा ऑपरेशन किया गया था। मरीज के पेट में काफी खून भरा हुआ था। तथा छोटी एवं बड़ी आंत में मल्टीपल परफोरेशन थे तथा मिजेन्टरी में भी इजरी थी। आपरेशन में मरीज की छोटी आंत के परफोरेशन को रिपेयर किया गया तथा अमाश्य को छोटी आंत से जोड़ा गया था। बड़ी आंत के परफोरेशन को लेट्रिंग का रास्ता पेट पर बनाया गया। पेट की सफाई करने के बाद पेट को बंद किया गया एवं मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ऑपरेशन के बाद भी मरीज की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बारे में उसके परिजीनों को बता दिया गया था। अगले दिन सुबह मरीज का एक बार कार्डियक अरेस्ट हुआ जिसे कार्डियक मसाज देकर एवं रिससीटेशन करके रिवाईव किया गया। परन्तु 10 तारीख को दिन में दुबारा मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 10 तारीख को दिन में उसे मृत घोषित किया गया। मरीज राजू, राधाकृष्णन हॉस्पिटल में डॉ. कमलेश अग्रवाल की देखरेख में था। उसे दिनांक 09.11.2018 को सर्जन होने के नाते बुलाया गया था। एडमिशन फार्म की सत्यप्रति प्रदर्श पी.37 उसके द्वारा तैयार की गई। कंटीन्यूएशन शीट की सत्यप्रति प्रदर्श पी.38 है। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा मरीज की जो जांचे करवाई गई थी उनके दस्तावेज पत्रावली में नहीं हैं। साक्षी के अनुसार मरीज की स्थिति नाजुक थी और वह बोलने की स्थिति में नहीं था। मरीज ने उसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था।

25. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 कैलाश** कानि की साक्ष्य है कि दिनांक 13.11.2018 को अभियुक्त हेमराज से चाकू बरामद हुआ था। जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 3 व नक्शा प्रदर्श पी 4 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। साक्षी के अनुसार अभियुक्त रामचरण से एक तलवार जब्त की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 5 व पुश्त पर नक्शा मौका पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 26.12.2018 को इस प्रकरण में सील्डशुदा चार पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी मय अग्रेषण पत्र मालखाना इंचार्ज रमेश हेडकानि से प्राप्त कर एसपी कार्यालय झालावाड़ से पत्र बनवाकर एफएसएल कोटा जमा करवाये जाने का कथन किया है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 6 व रसीद प्रदर्श पी 7 को प्रदर्शित करवाया है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि हेमराज के मकान

का कमरा किस दिशा में है उसे पता नहीं। बक्सा किस दिशा में रखा हुआ था यह भी उसे याद नहीं है। बक्से के ताला लगा हुआ था या नहीं उसने नहीं देखा। बक्सा खोला तब सबसे पहले क्या निकला उसे याद नहीं है। साक्षी के अनुसार चाकू को थानेदार जी ने निकाला था। चाकू की कुल लम्बाई 16 से.मी. थी। रामचरण के मकान का मुख्य दरवाजा और कमरा किस दिशा में है उसे याद नहीं। रामचरण से तलवार कहां से बरामद की गई थी उसे पता नहीं है। तलवार की लम्बाई उसे याद नहीं है। यह स्वीकार किया है कि जप्तशुदा चाकू व तलवार न्यायालय में उसके सामने नहीं लाए गए हैं।

26. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 6 जगदीश** कनि की साक्ष्य है कि दिनांक 13.11.2018 को अभियुक्त हेमराज ने अपने रिहायशी मकान में बने कमरे में रखे एक बक्से मे से चाकू निकालकर दिया था, जिसके फल की लम्बाई 14 सेमी थी। चाकू पर खून लगा हुआ था। जिसे जब्त कर सफेद कपड़े की थेली में रखकर सील्ड मोहर किया था। फर्द जब्ती चाकू प्रदर्श पी 3 व बरामदगी का नक्शा प्रदर्श पी 4 पर उसके व अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त रामचरण ने उसके रिहायशी मकान मनोहरथाना में कमरे के कोने से एक तलवार निकाल कर पेश की थी। जिसे जर्ये फर्द जब्त किया था। तलवार पर खून लगा हुआ था। फर्द जब्ती तलवार प्रदर्श पी 5 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 पर उसके व अभियुक्त के हस्ताक्षर बताये हैं। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि हेमराज के मकान का मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा में है व रामचरण के मकान का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा में है। हेमराज के मकान के आस-पास आबादी व अन्य घर बने हुए हैं। अनुसंधान अधिकारी ने उसे स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए कोई तहरीर नहीं दी। यह स्वीकार किया है कि वह किसी स्वतंत्र गवाह को बुलाने के लिए नहीं गया, स्वतः कहा कि कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं था। हेमराज से रामचरण का मकान कितनी दूर है उसे अंदाजा नहीं है, थोड़ी दूरी पर है। रामचरण के मकान के आस-पास भी बस्ती है। अनुसंधान अधिकारी ने स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए उसे तहरीर नहीं दी। स्वतः कहा कि कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। हेमराज व रामचरण के मकान में बने कमरे की दिशा उसे आज याद नहीं है।

27. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 18 नीरज** कनि. ने दिनांक 19.12.18 को अभियुक्त पवन कुमार को व दिनांक 20.12.18 को ममता कुमारी को अपने सामने गिरफ्तार करना बताया है। फर्द गिरफ्तारी पर अपने हस्ताक्षर प्रदर्शित करवाये हैं। साक्षी के अनुसार अभियुक्त पवन कुमार की सूचना पर उसके रिहायशी मकान के कमरे में से एक तलवार उसकी निशादेही से बरामद कर जब्त की थी जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 33 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 34 है जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पवन के मकान में परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। उसके आस-पास किसके मकान हैं उसे याद नहीं। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। साक्षी के अनुसार वहां कोई नहीं था और यह स्वीकार किया है कि आस-पास मकान बने हुए हैं। फर्द पर कोई गवाह नहीं मिलने का नोट अंकित नहीं किया।

28. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 19 शीशराम** कनि. ने अभियुक्त ममता कुमारी को जयें फर्द प्रदर्श पी 32 से गिरफ्तार किया जाना बताया है। साक्षी के अनुसार अभियुक्त पवन कुमार की सूचना पर उसके रिहायशी मकान के कमरे में से एक तलवार उसकी निशादेही से बरामद कर जब्त की थी जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 33 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 34 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि पवन के मकान में उसका पूरा परिवार रहता है। मकान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं लिये। मकान में दो कमरे हैं, तलवार पहले नम्बर के कमरे से बरामद की थी। यह स्वीकार किया है कि मकान घनी बस्ती में है। स्वतंत्र गवाह बुलाने के लिए कोई गया था या नहीं उसे ध्यान नहीं है।

29. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 21 रमेशचन्द मीना** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.11.2018 को थाना मनोहरथाना में हैड कानि. के पद पर था। उस दिन थानाधिकारी पवन कुमार ने मुकदमा नं. 315/18 में सील्डशुदा पैकेट मार्क ए खून आलूदा पाजामा, मार्क बी आलाए कत्ल चाकू, एवं मार्क सी आलाए कत्ल तलवार जमा मालखाना करने हेतु उसे दिये थे। जिन्हें मालखाना रजिस्टर के कमाक 285 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया था। दिनांक 26.12.18 को कैलाशचन्द कानि. के माध्यम से मय अग्रेषण पत्र के रासायनिक परीक्षण हेतु कोटा भिजवाये थे जिसने दिनाक 28.12.18 को रसीद लाकर पेश की। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 36 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी प्रति प्रदर्श पी 38ए पत्रावली में संलग्न है जो दो किता में है। जमा रसीद प्रदर्श पी 7 है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 6 है।

30. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 22 अब्दुल रशीद** ने प्रकरण का प्रारम्भिक अनुसंधान किया है। साक्षी के अनुसार दिनांक 08.11.2018 को वह थाना मनोहरथाना में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थानाधिकारी पवन कुमार ने आहत राहुल मेवाड़ा का पर्चा बयान लेखबद्ध करमुकदमा सख्या 315/18 अंतर्गत धारा 341,323,307,143 भादस दर्ज किया था और पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे दी थी। पर्चा बयान प्रदर्श पी 17 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 37 हैं। दौराने अनुसंधान वह सीएचसी अकलेरा पहुंचा जहां मृत्तक राजू मेवाड़ा

जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 01 बनाया था। बाद पोस्टमार्टम राजू मेवाड़ा की लाश अंतिम संस्कार हेतु उसके लड़के जगदीश को सुपुर्दगी पर दी थी। सुपुर्दगी प्रदर्श पी 02 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान उसने बयान दीपक मेवाड़ा, धनराज, मनीष, राहुल के उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। रूबरू गवाहान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 09 है जिसपर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में धारा 302 भादसं का अपराध जुड़ने से पत्रावली उसने थानाधिकारी पवन कुमार को सुपुर्द कर दी थी। प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इन्कार किया है कि गवाहों के बयान उनके कथनानुसार अंकित नहीं किये हो।

31. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 24 पवन कुमार** ने प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान किया है। साक्षी के अनुसार दिनांक 08.11.2018 को वह थाना मनोहरथाना में थनाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मजरूब राहुल मेवाड़ा के पर्चा बयान सीएचसी मनोहरथाना में उसने लेखबद्ध किये थे। पर्चा बयान से मामला धारा 323, 341, 307, 143 भादसं का बनना पाये जाने पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान अब्दुल रसीद को सुपुर्द किया। पर्चा बयान प्रदर्श पी 17 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर बताये हैं। मजरूब राजू मेवाड़ा की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 जुड़ने से पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसने भगवतसिंह, भवानीशंकर, पदम कुमार, जगदीश मेवाड़ा के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। मृतक राजू मेवाड़ा का एक खून आलूदा पजामा उसके पुत्र जगदीश के पेश करने पर जरिये फर्द प्रदर्श पी 11 जप्त किया था। अभियुक्त हेमु उर्फ हेमराज को जरिये फर्द प्रदर्श पी 39 व अभियुक्त रामचरण को जरिये फर्द पदर्श पी 40 गिरफ्तार किया था। दौराने हिरासत अभियुक्त हेमु उर्फ हेमराज ने उसे एक चाकू बरामद कराने की सूचना धारा 27 सा.अ. प्रदर्श पी 41 दी थी। हेमराज की सूचना पर उसके रिहायशी मकान में अंदर प्रवेश कर कमरे में रखे लोहे के बड़े बक्से में से एक चाकू उसकी निशादेही से बरामद कर जप्त किया था जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 03 है। बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 04 है। दौराने हिरासत अभियुक्त रामचरण सूचना धारा 27 सा.अ. प्रदर्श पी 42 दी कि उसने एक तलवार उसके रिहायशी मकान के कमरे की टांड पर छिपाकर रख रखी है जिसे बरामद करा सकता है। अभियुक्त रामचरण की सूचना पर उसके रिहायशी मकान में प्रवेश कर एक तलवार बरामद कर जरिये प्रदर्श पी 05 जप्त की थी। बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 06 है। साक्षी के अनुसार उसने अभियुक्त पवन कुमार को जरिये फर्द प्रदर्श पी 31 गिरफ्तार किया था। दौराने हिरासत अभियुक्त पवन कुमार ने एक तलवार बरामद कराने की सूचना धारा 27 सा.अ. प्रदर्श पी 43 दी जिसके आधार पर अभियुक्त पवन के रिहायशी

मकान के अंदर से उसकी निशांदेही से एक तलवार बरामद कर जप्त की थी जिसकी जप्ती प्रदर्श पी 33 है। बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 34 है। अभियुक्ता ममता कुमारी को जरिये फर्द प्रदर्श पी 32 से गिरफ्तार करना बताया है। मजरूबान के चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाकर चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 लगायत पी 25 शामिल पत्रावली किये। मृतक राजू मेवाड़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 35 शामिल पत्रावली की। मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी 36 शामिल पत्रावली की। मृतक राजू मेवाडा के कोटा में ईलाज के दस्तोवजों की नकलें प्रदर्श पी 37, पी 38 शामिल पत्रावली की। रोजनामचा आम की नकल रपटें प्रदर्श पी 45 लगायत पी 55 शामिल पत्रावली की। राज्य सरकार की विज्ञप्ती प्रदर्श पी 56 शामिल पत्रावली की। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण हेमराज, रामचरण, पवन, ममता के विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 307, 302/34 भादसं व 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया था। साक्षी ने प्रकरण में जप्त पजामा आर्टिकल 1, अभियुक्त हेमराज से जप्त चाकू आर्टिकल 2, अभियुक्त रामचरण से जप्त तलवार आर्टिकल 3 व अभियुक्त पवन से जप्त तलवार आर्टिकल 4 को न्यायालय में प्रदर्शित करवाया है। प्रकरण की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 57 को प्रदर्शित करवाया है। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल 1 से 4 सफेद रंग की एक थैली में हैं जो उक्त थैली के अन्दर खुली हालत में है। थैली मध्य में और नीचे से फटी हुई है। यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में थैली के नीचे के फटे हुए हिस्से से तलवार व चाकू को आसानी से निकाला जा सकता है। यह स्वीकार किया है कि उक्त तलवार व चाकू पर प्रकरण के नम्बर अंकित नहीं हैं। इस सुझाव को गलत बताया है कि विशिष्ट पहचान चिन्ह अंकित नहीं होने से तलवारों के बदलने की सम्भावना हो। यह स्वीकार किया है कि जप्तशुदा आर्टिकल पर जंग लगा हुआ है। यह अस्वीकार किया है कि जप्तशुदा आर्टिकल पर खून के निशान नहीं लगे हों। फिर कथन किया है कि यह एफएसएल से संबंधित मामला है इस कारण वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया है अभियुक्त हेमु उर्फ हेमराज का मकान बस्ती के बीच में है और फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 3 में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। साक्षी के अनुसार कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ था। यह स्वीकार किया है कि स्वतंत्र गवाह मामूर करने के लिए उसने कोई तहरीर जारी नहीं की। अन्य फर्द बरादमगी नक्शा प्रदर्श पी 5, 6 व प्रदर्श पी 33, 34 में भी कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होना स्वीकार किया है। यह स्वीकार किया है कि एफएसएल रिपोर्ट के बिना वह नहीं बता सकता कि हथियारों पर खून के दाग थे या नहीं। यह भी स्वीकार किया है कि एफएसएल रिपोर्ट में मानव रक्त का कोई ग्रुप नहीं बताया गया है। साक्षी के

अनुसार इन पर पाया गया रक्त विशिष्ट रूप से किस व्यक्ति का हो सकता है वह नहीं बता सकता।

<u>साक्ष्य की विवेचना</u>-

32. अभियोजन कथा के अनुसार आहतगण राहुल, दीपक, धनराज व मृतक का पुत्र जगदीश घटना के समय राहुल की शराब की दुकान से दीपक को छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज व पवन की माता गुड्डी बाई ठेले पर दिये जला रही थी जो आहत दीपक का धक्का लग जाने से निचे गिर गये और गुड्डी बाई ने उन्हें गाली गलौच की व अपने पुत्रों को बुला लिया। अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज चाकू लेकर व पवन तलवार लेकर आये तथा अभियुक्त रामचरण अपने घर से तलवार लेकर आ गया। उक्त सभी व ममता बाई आहतगण राहुल, दीपक, पवन व धनराज के साथ मारपीट करने लगे। जिन्हें मृतक राजू मेवाड़ा ने बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी अभियुक्तगण ने मारपीट की, अभियुक्त हेमु उर्फ हेमराज ने उसके चाकू से चोटें कारित की। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण सचिन, कन्हैयालाल, भवानीशंकर, भगवत सिंह व पदम कुमार ने उक्त घटना देखी थी। उपचार के दौरान राजू की दिनांक 10.11.2018 को मृत्यु हो गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त हेमु उर्फ हेमराज की सूचना पर उसके मकान के कमरे से एक चाकू आर्टिकल 2, अभियुक्त रामचरण की सूचना पर उसके मकान के कच्चे घर से एक तलवार आर्टिकल 3 तथा अभियुक्त पवन की सूचना पर उसके शामलाती मकान के कमरे से एक तलवार आर्टिकल 4 बरामद की गई। मृतक के पाजामा व उक्त हथियारों की एफएसएल से जाँच करवाये जाने पर इन पर मानव रक्त पाया गया, किन्तु रक्त समूह अनिर्णित रहा।

33. न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में परिवादी राहुल मेवाड़ा सहित सभी आहत साक्षीगण दीपक, धनराज व पवन ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया और सभी पक्षद्रोही रहे हैं। यहाँ तक कि मृतक के पुत्र जगदीश को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है, वह भी पूर्णतः पक्षद्रोही है। इन साक्षियों के अनुसार घटना के समय अंधेरा था लाईट गई हुई थी। मौके पर भीड़ थी किस व्यक्ति ने मारपीट की उन्हें पता नहीं चला। स्वयं के किसने चोट मारी यह भी बताने में असमर्थता प्रकट की है। साक्षी क्रमांक 13 राहुल मेवाड़ा ने पर्चा बयान प्रदर्श पी 17 में वर्णित कथन पुलिस को बताये जाने से स्पष्ट इंकार किया है। घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी साक्षी क्रमांक 16 सचिन, साक्षी क्रमांक 17 कन्हैयालाल, साक्षी क्रमांक 12 भवानी शंकर, साक्षी क्रमांक 9 भगवत सिंह व साक्षी क्रमांक 10 पदम कुमार ने भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इन सभी साक्षियों से अपर लोक अभियोजक द्वारा की

गई प्रतिपरीक्षा में भी अभियुक्तगण की अपराध में लिप्तता दर्शाने वाला कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है। साक्षियों ने पुलिस द्वारा लेखबद्ध बयान धारा 161 दप्रसं दिये जाने से भी स्पष्ट इंकार किया है। इस प्रकार अभियोजन के किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज, पवन, रामचरण व ममता बाई द्वारा मारपीट करने या मृतक राजू के कोई चोटें कारित करने का कथन नहीं किया है ना ही अभियुक्तगण की घटना स्थल पर उपस्थिति का कथन किया है।

34. चिकित्सक साक्षी क्रमांक 14 डॉ. सत्यनारायण ने मृतक राजू व आहतगण राहुल, दीपक व धनराज की चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन बनाये जाने का कथन किया है, किन्तु उक्त आहतगण का कथन है कि उनके चोट किस व्यक्ति ने मारी मौके पर अंधेरा होने व भीड़ में पता नहीं चला। साक्षी क्रमांक 20 डॉ. सचिन ने मृतक राजू का पोस्टमार्टम किया है और मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों का वर्णन किया है। साक्षी के अनुसार मृत्यु का प्राथमिक कारण आन्त्र में आयी चोटों व उसके अनुक्रम की वजह से सेप्टिसेमिक शॉक था फिर भी ईलाज के कागज एवं डॉक्टर की सलाह मांगी गयी थी। इस सम्बन्ध में मृतक का उपचार करने वाले चिकित्सक साक्षी क्रमांक 23 डॉ. अनुराग चित्तोड़ा ने निजि अस्पताल में मृतक राजू का उपचार करना बताया है व चोटों के कारण उसकी गम्भीर स्थिति होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि मृतक की जो जाँचे करवाई गई थी उनके दस्तावेज पत्रावली में नहीं है।

35. अनुसंधान अधिकारी साक्षी क्रमांक 22 अब्दुल रशीद ने प्रारम्भिक अनुसंधान में साक्षियों के बयान लेखबद्ध करना बताया है। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान साक्षी क्रमांक 24 पवन कुमार द्वारा किया गया है जिसने साक्षियों के बयान लिये हैं और अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया है। साक्षी के अनुसार अभियुक्तगण की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाओं के आधार पर उनके मकान से चाकू व तलवार बरामद की थी। उक्त हथियार व मृतक राजू का खून आलूदा पाजामा जाँच हेतु एफएसएल में भिजवाये गये हैं। प्रकरण की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 57 में पाजामा, चाकू व दो तलवारों पर मानव रक्त पाया गया था। किन्तु उक्त सभी आर्टिकल्स पर पाया गया रक्त किस विशिष्ट समूह का था यह अनिर्णित रहा। एफएसएल रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उक्त सभी आर्टिकल्स पर पाया गया रक्त एक ही व्यक्ति अर्थात् मृतक का ही था या नहीं। इसलिए प्रकरण में जप्त हथियारों या एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध में लिप्तता की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती।

36. इसी क्रम में अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज, पवन व रामचरण के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोप के संबंध में पत्रावली के

अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन कथा के अनुसार उक्त अभियुक्तगण के कब्जे से अनुज्ञा रहित धारदार हथियार चाकू व तलवारें बरामद हुई थी। अनुसंधान अधिकारी पवन कुमार ने हेमु उर्फ हेमराज की सूचना पर उसके रिहायशी मकान के कमरे में एक बक्से से एक चाकू आर्टिकल 2 बरामद करना बताया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 3 में उक्त चाकू का धारदार फल 14 से.मी. दर्शाया गया है और चाकू के हुलिये का विस्तार से वर्णन किया है। इस फर्द जप्ती में यह अंकित नहीं है कि चाकू बटनदार हो जबकि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आर्टिकल 2 को देखकर अनुसंधान अधिकारी पवन कुमार ने उसे बटनदार चाकू होना बताया है। बरामदगी के साक्षी क्रमांक 3 कैलाश कानि. के अनुसार बक्से में से चाकू थानेदार जी ने निकाला था।

37. अनुसंधान अधिकारी पवन कुमार के अनुसार अभियुक्त पवन की सूचना पर उसके रिहायशी मकान के कमरे से तलवार आर्टिकल 4 बरामद की गई थी। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 33 में तलवार का धारदार फल दो फिट दर्शाया गया है और नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 34 में बरामदगी स्थल मकान भी पवन कुमार का शामलाती होना व उसमें बने हुए कमरे में से तलवार बरामद करने का कथन किया गया है। जबकि बरामदगी के साक्षी क्रमांक 18 नीरज कुमार कानि का कथन है कि अभियुक्त पवन ने मकान स्वयं का बताया था। पत्रावली से दर्शित होता है कि अभियुक्त पवन व हेमु उर्फ हेमराज की निशादेही से दर्शाई गई उक्त बरामदगियां एक ही मकान के अलग-अलग कमरों से करना बताया है। अभियुक्त हेमराज से संबंधित फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 3 में मकान स्वयं अभियुक्त का रिहायशी बताया है जबकि अभियुक्त पवन से संबंधित नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 34 में उक्त मकान अभियुक्त पवन का शामलाती दर्शाया गया है जो विरोधाभासी है। बरामदगी के साक्षी नीरज कानि. व शीशराम कानि. ने कथन किया है कि मकान में अभियुक्त पवन के परिवार के अन्य लोग भी निवास करते थे।

38. इसी क्रम में अनुसंधान अधिकारी पवन कुमार ने अभियुक्त रामचरण की सूचना पर उसके रिहायशी मकान से एक तलवार आर्टिकल 3 बरामद करना बताया गया है जिसका धारदार फल 2 फिट लम्बा दर्शाया गया है। नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 6 में उक्त तलवार अभियुक्त रामचरण के मकान में बने कच्चे घर की टांड से जप्त करना दर्शाया गया है। जबकि न्यायालय के समक्ष उक्त फर्द जप्ती के साक्षी क्रमांक 6 जगदीश का कथन है कि तलवार मकान में बने कमरे के कोने से बरामद की गई थी और साक्षी क्रमांक 3 कैलाश का कथन है कि तलवार कहां से बरामद की उसे ध्यान नहीं है।

39. उक्त अभियुक्तगण से की गई बरामदगी के मकान घनी आबादी में होना व आस-पास अन्य लोगों का निवास करना साक्षियों ने स्वीकार किया है। लेकिन जप्ती की कार्यवाही की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया और फर्द जप्ती में इसका कोई कारण भी दर्शित नहीं किया है। जप्ती कार्यवाही के साक्षियों के बयानों में यह विरोधाभास प्रकट हुआ है कि स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं थे या कोई व्यक्ति गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ था। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारदार हथियार कब्जे में रखने का आरोप है जबकि न्यायालय के समक्ष अनुसंधान अधिकारी पवन कुमार का कथन है कि प्रस्तुत हथियार जंग लगे हुए हैं। साक्षी पवन कुमार ने यह भी स्वीकार किया है कि न्यायालय में प्रस्तुत पैकेट फटा हुआ है जिसमें से पैकेट को खोले बिना हथियारों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। जप्तशुदा दोनों तलवार पर विशिष्ट पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। यद्यपि इस साक्षी ने इस सम्भावना से इन्कार किया है कि तलवारें आपस में बदल सकती हो लेकिन अपनी इस सम्भावना का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार हथियारों की पहचान व उनकी बरामदगी संबंधी साक्ष्य विरोधाभासपूर्ण व संदेहजनक है।

40. अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज, रामचरण व पवन कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323 अथवा 323/34, 324 अथवा 324/34, 307 अथवा 307/34, 302 अथवा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम व अभियुक्ता ममता कुमारी के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323 अथवा 323/34, 324 अथवा 324/34, 307 अथवा 307/34, 302 अथवा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुए है। इसलिए अभियुक्तगण हेमु उर्फ हेमराज, रामचरण, पवन कुमार व ममता कुमारी उक्त आरोपित अपराध के आरोप से दोषमुक्ति के पात्र हैं।

<u>आदेश</u>

41. अतः अभियुक्त 01. **हेमु उर्फ हेमराज** पुत्र मोहनलाल, 02. **रामचरण** पुत्र लक्ष्मीनारायण व 03. **पवन कुमार** पुत्र मोहनलाल, निवासीगण मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा **341, 323 अथवा 323/34, 324 अथवा 324/34, 307 अथवा 307/34, 302 अथवा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम** एवं अभियुक्ता **ममता कुमारी** पुत्री मोहनलाल, निवासी मनोहरथाना, पुलिस थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा **341, 323 अथवा 323/34, 324 अथवा 324/34, 307 अथवा 307/34, 302 अथवा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से

दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

42. प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत पाजामा, चाकू व तलवारें बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिए जाएं।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

43. यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया व खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

संलग्नः- परिशिष्ट **'क'** व **'ख'**

परिशिष्ट **'क'**

अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची -

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
01 पूनमचन्द	फर्द पंचनामा, फर्द सुपुर्दगी लाश
02 मुकेश	फर्द पंचनामा, फर्द सुपुर्दगी लाश
03 कैलाश	नक्शा मौका, फर्द जप्ती व माल एफएसएल जमा कराना
04 दीपक	घटना के बारे में कहना
05 धनराज	घटना के बारे में कहना
06 जगदीश	फर्द जप्ती व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
07 जितेन्द्र	फर्द जप्ती पजामा
08 पवन	नक्शा मौका व घटना के बारे में कहना
09 भगवतसिंह	घटना के बारे में कहना
10 पदम	घटना के बारे में कहना
11 मनीष	घटना के बारे में कहना
12 भवानीशंकर	घटना के बारे में कहना
13 राहुल मेवाड़ा	पर्चा बयान, फर्द जप्ती व पंचनामा
14 डॉ. सत्यनारायण	चिकित्सक साक्षी
15 जगदीश	घटना के बारे में कहना
16 सचिन	घटना के बारे में कहना
17 कन्हैया	घटना के बारे में कहना
18 नीरज कुमार	फर्द गिरफ्तारी, फर्द बरामदगी व नक्शा मौका
19 शीशराम	फर्द गिरफ्तारी, फर्द बरामदगी व नक्शा मौका
20 डॉ. सचिन मीणा	चिकित्सक साक्षी
21 रमेशचन्द मीणा	मालखाना इंचार्ज
22 अब्दुल रशीद	अनुसंधान अधिकारी
23 डॉ. अनुराग चित्तोड़ा	चिकित्सक साक्षी
24 पवन कुमार	अनुसंधान अधिकारी

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

परिशिष्ट 'ख'

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात की सूची-

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
प्रदर्श पी-1	फर्द पंचनामा लाश मृतक राजू	साक्षी क्रमांक 1, 2
प्रदर्श पी-2	फर्द सुपुर्दगी लाश	साक्षी क्रमांक 1, 2
प्रदर्श पी-3	फर्द जप्ती चाकू मुल्जिम हेमु उर्फ हेमराज	साक्षी क्रमांक 1, 2, 3, 4, 7
प्रदर्श पी-4	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 1, 2, 4
प्रदर्श पी-5	फर्द जप्ती तलवार मुल्जिम रामचरण	साक्षी क्रमांक 1, 2, 4
प्रदर्श पी-6	माल एफएसएल जमा कराने बाबत पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र	साक्षी क्रमांक 1, 2, 4
प्रदर्श पी-7	प्राप्ति रसीद	साक्षी क्रमांक 1, 2, 4
प्रदर्श पी-8	पुलिस बयान गवाह दीपक	साक्षी क्रमांक 1, 2, 4
प्रदर्श पी-9	नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 1, 2, 4
प्रदर्श पी-10	पुलिस बयान गवाह धनराज	साक्षी क्रमांक 1, 2, 4
प्रदर्श पी-11	फर्द जप्ती पजामा	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी-12	पुलिस बयान गवाह पवन	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी-13	पुलिस बयान गवाह भगवतसिंह	साक्षी क्रमांक 8
प्रदर्श पी-14	पुलिस बयान गवाह पदम कुमार	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी-15	पुलिस बयान गवाह मनीष	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी-16	पुलिस बयान गवाह भवानीशंकर	साक्षी क्रमांक 10, 15
प्रदर्श पी-17	पर्चा बयान मजरूब राहुल मेवाड़ा	साक्षी क्रमांक 10, 15
प्रदर्श पी-18	पुलिस बयान गवाह राहुल	साक्षी क्रमांक 10, 15
प्रदर्श पी-19	चोट प्रतिवेदन राहुल	साक्षी क्रमांक 11, 15
प्रदर्श पी-20	चोट प्रतिवेदन राजू	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-21	चोट प्रतिवेदन पवन	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-22	चोट प्रतिवेदन दीपक	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-23	चोट प्रतिवेदन धनराज	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-24	एक्स-रे कवरनोट धनराज	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-25, 26	एक्स-रे प्लेट्स	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-27	पुलिस बयान गवाह जगदीश	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-28	मुचलका धारा 170(2) दप्रसं	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-29	पुलिस बयान गवाह सचिन	साक्षी क्रमांक 15
प्रदर्श पी-30	पुलिस बयान गवाह कन्हैयालाल	साक्षी क्रमांक 16, 17
प्रदर्श पी-31	फर्द गिरफ्तारी पवन कुमार	साक्षी क्रमांक 18

प्रदर्श पी-32	फर्द गिरफ्तारी ममता कुमारी	साक्षी क्रमांक 19
प्रदर्श पी-33	फर्द जप्ती तलवार पवन	साक्षी क्रमांक 19, 21
प्रदर्श पी-34	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 19, 21, 22
प्रदर्श पी-35	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक राजू	साक्षी क्रमांक 19, 21, 22
प्रदर्श पी-36ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति	साक्षी क्रमांक 20
प्रदर्श पी-37	प्रथम सूचना रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी-37, 38	मृतक राजू के भर्ती टिकिट	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी-39	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हेमु उर्फ हेमराज	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी-40	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रामचरण	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी-41	अभियुक्त हेमु उर्फ हेमराज की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी-42	अभियुक्त रामचरण की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी-43	अभियुक्त पवन कुमार की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी-44	आपराधिक रेकॉर्ड	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी 45 से 56	नकल रपट रोजनामचा	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी 56	राज्य सरकार की अधिसूचना	साक्षी क्रमांक 23
प्रदर्श पी 57	एफएसएल रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 23

आर्टिकल की सूची -

आर्टिकल संख्या	**आर्टिकल का नाम**
01	पजामा
02	चाकू
03	तलवार
04	तलवार

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल वाजिद चिश्ती)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

ADP

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.25 12:46:06 IST